GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

.....

RBE NO: 145/2012.

No:E(G) 2001 QR 1-14

New Delhi, Dated: 14-12-12

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units.
(Others: As per standard list)

Sub: Retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of the officers/staff posted to Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramulla Project.

.....

In terms of Board's letter No.E(G) 2001 QR-1-14 dated 27.09.2010, retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramulla Project was permitted up to 14-08-2012.

2. The matter has been considered by the Board and in exercise of powers vested with the full Board for making reasonable relaxations in public interest in all or any of the existing provisions regarding allotment/retention of Railway quarters and charging the rent therefor for a class/group of employees, in continuation of Board's letter under reference the Board have now decided that the officers and staff posted at Jammu-Udhampur-Srinagar-Baramulla Project may be permitted to retain Railway accommodation at their previous place of posting on normal rent upto March, 2018 or completion of the project, whichever is earlier.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(S. Pal)
Jt. Dir./Estt. (Genl.)

No:E(G) 2001 QR 1-14

New Delhi, Dated: 14-12-12

Copy to Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं:145/2012.

सं. ई(जी)2001 क्यूआर 1-14 नई दिल्ली, दिनांक 14 -12-12

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां
(अन्य: मानक सूची के अनुसार)

विषय: जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखना ।

बोर्ड के दिनांक 27.09.2010 के पत्र संख्या ई(जी)2001 क्यूआर-1-14 के अनुसार जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना के लिए तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास 14.08.2012 तक अपने पास रखने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और कर्मचारियों की किसी श्रेणी/ग्रुप के लिए रेलवे क्वार्टर के आबंटन/इसे अपने पास रखने और उसका किराया वसूल करने के बारे में सभी अथवा किन्ही मौजूदा प्रावधानों में जनहित में समुचित रियायत देने के लिए पूरे बोर्ड के पास निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड के संदर्भित पत्र के क्रम में बोर्ड ने अब यह विनिश्चय किया है कि जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला परियोजना में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास को सामान्य किराये पर मार्च, 2018 अथवा परियोजना के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, अपने पास रखने की अनुमति दी जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

सुभोतोष पाल
(एस. पाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना(सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(जी)2001 क्यूआर 1-14 नई दिल्ली, दिनांक 14 -12-12

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रेषित (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(मि. आनन्द कुमार)
कृते वित्त आयुक्त/रेलें